उपभोक्ताओं की अज्ञानता का फायदा उठाती हैं कंपनियां

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उपभोक्ताओं की अज्ञानता का फायदा सेवाप्रदाता कंपनियां खूब उठाती है। इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों व सेवाप्रदाता कंपनियों की शर्तों के प्रति सजग रहें।

बीएसएनएल और भारत ज्योति उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा इंदिरानगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी में यह जानकारी राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने दी। आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति केसी भार्गव ने कहा कि उपभोक्ता आयोग पर सरकार नियंत्रण रखना चाहती है।

लोगों को जागरूक रह कर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत है जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। सीडीआर आई के पूर्व निदेशक डॉ. बीएन धवन ने कंज्यूमर मूवमेंट में एथिक्स पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि विदेशों में आम उपभोक्ता से जुड़े नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए उपभोक्ता को खुद ही

◆ उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी

जागरूक होना पड़ेगा जिससे उसे बाजार ठग न सके। डॉ. आरएम माथुर व पीजीआइ के प्रो.हेम चंद्रा ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी। भारत ज्योति उपभोक्ता संरक्षण परिषद के महानिदेशक विजय आचार्य ने कहा कि यह कंज्यूमर मूवमेंट नहीं बल्कि समाज सुधार है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किसान पैसा खर्च कर बीज, उर्वरक खरीदता है। खराब गुणवत्ता होने से उपज कम होती है इससे केवल किसान को ही नहीं बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है।

Generated by CamScanner from intsig.com